

श्री. ज. वि. खलीनी उद्दण

शाम बोटियाकोट होल बोटियाकोट लखी कपकोट

- भूमि विणनी (1) ख 1)

खाना सं	नाम खालेदार	क. सं.	खेव नं.	खण	लगान	विवरण
१०	जंगल		१४७	४॥		
			१४८	२३१		
			१४७५	३४८॥		
			१४७६	१७७॥		
			कुल			
			८३०१	२१-		
			८३०२	५		
			८३०३	३		
			८३०४	११-		
			८३०५	२-		
	खाना	-	३७७	५४०४१३		

भदोदय गोरखेव से लखमाय लक मोररभगी
 सिमाण हेतु मयुम्य भूमि का पुजाव
 लखा विधा ————— 6.750 हे भूमि

भदोदय लखमाय
 सिमाण
 उप सिमाण
 २२-५-१६
 जिला अधिकार

परियोजना का नाम— जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत गैरखेत से लखमरा तक 5.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

सिविल सोयम भूमि पर वृक्षारोपण की निरीक्षण टिप्पणी रिपोर्ट एवं उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत गैरखेत से लखमरा तक 5.00 किमी० प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण में ग्राम गैरखेत एवं लखमरा 0.450 है० सिविल भूमि, 2.925 है० वन पंचायत भूमि कुल 3.375 है० भूमि निर्माण कार्य एवं मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित है। इस क्षेत्रफल के दुगने अवनत सिविल भूमि पर ग्राम बदियाकोट के श्रेणी सू(3)ख(9) के मध्ये 6.750 है० सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है। यह भूमि राजस्व अभिलेखों में श्रेणी सू(3)ख(9) में भूमि दर्ज है। जो ग्राम बदियाकोट पटवारी क्षेत्र बदियाकोट, तहसील—कपकोट, जिला—बागेश्वर के नियंत्रणाधीन है।

शासनादेश संख्या 883(i)/x-3/2011/8(21)/2010 दिनांक 4 अक्टूबर, 2011 के पश्चात शासनादेश संख्या 2882 viii(2)/11-18 (120)/2010 दिनांक 11 नवम्बर 2011 के निर्देशानुसार प्रस्तावित उक्त सिविल सोयम भूमि जिसका परीक्षण राजस्व उप निरीक्षक बदियाकोट द्वारा दिनांक 22/11/16 को किया जा चुका है मीके पर प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इस भूमि पर किसी भी प्रकार के इमारती आदि के वन नहीं है तथा वन स्वरूप नहीं है।

अतः उपरोक्त सिविल सोयम भूमि वन स्वरूप न होने के कारण वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


Sub Divisional Magistrate
Kapkote (Bageshwar)


तहसीलदार
उहतील कपकोट

